

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता हुसैनाबाद. पलामू

F-10

अनुसूची-14 फारम सं०

गायत्री देवी ----- अपीलार्थी

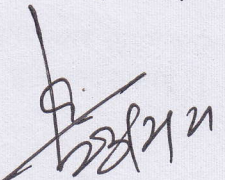
बनाम्

अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद --- प्रतिपक्षी

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- तारीख.....सेतक
जिला पलामू नामांतरण अपील वाद सं०.....०८...../2021
केस का प्रकार.....

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.2.21	अपीलार्थी की ओर से अंचल पदाधिकारी हुसैनाबाद के द्वारा On Line नामान्तरण वाद संख्या- 246 R27/2020-2021 में पारित आदेश दिनांक 04-02-2021 के विरुद्ध मेरे न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अपील आवेदन एवं अंचल पदाधिकारी हुसैनाबाद के द्वारा On Line नामान्तरण वाद संख्या- 246 R27/2020-2021 में पारित आदेश दिनांक 04-02-2021 के On Line प्रतिलिपि का अवलोकन किया। अतः अपील आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है। प्रतिपक्षीगण को सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक ०८.३.२१ को रखे।  भूमि सुधार उप समाहर्ता हुसैनाबाद - पलामू अपीलार्थी की अधिवक्ता / प्रतिपक्षी अधिवक्ता उपस्थित / उपस्थित +012.3.21 L.R.D.C	

08.3.21

12.3.21

~~अपीलाधीनी की - जोर से बकाबक~~
~~कानगी / पीपली आहुती-क / बाठ के~~
~~पीपली की जोर से बकाबक फिन्की,~~
~~उपरी-क हक निष्ठाक कबल - गोखल~~

प्रथम पक्ष अपिपली
ने memo of appeal को ही
आपना written statement कहा।
कहा है कि 17 अपाई

12/3/21

17.3.21

~~अपीलाधीनी की - जोर से बकाबक कानगी~~
~~पीपली की आहुती-क अपिपली~~
के विद्वान अपिपली को पुनः
आदेशावली

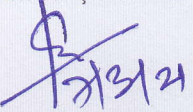
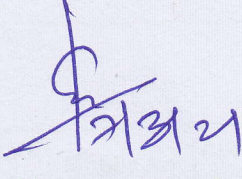
17/3/21

न्यायालय - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

नामांतरण अपील वाद संख्या- 08/2021

गायत्री देवी बनाम अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद

Order With Signature of The Court

Date of order of Proceeding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date
1	2	3
17-03-2021	<u>आदेश</u> अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी हुसैनाबाद के द्वारा ऑनलाइन नामांतरण वाद संख्या 246 R 27 / 2020- 2021 में दिनांक 04-02-2021 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील वाद दायर किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना , अपील आवेदन एवं प्रतिपक्ष द्वारा दाखिल किए गए प्रतिउत्तर तथा अंचल अधिकारी हुसैनाबाद का नामांतरण वाद संख्या 246 R 27 / 2020- 2021 की समर्पित प्रतिलिपि अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि का विवरण - मौजा - जपला धरहरा , खाता संख्या 409, प्लाट संख्या - 848, रकबा - 15 डेसिमिल। अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का रैयत राधा देवी पति दुखन दास थे जिनके नाम से रजिस्टर 2 पेज नंबर 140 / 1 पर जमाबंदी कायम होकर राजस्व रसीद निर्गत होती थी। जमाबंदी रैयत के वारिसान ने दिनांक 18-07-2018 को केवाला संख्या 4060 से अपीलार्थी गायत्री देवी पति जयप्रकाश तिवारी ग्राम जपला धरहरा वार्ड नंबर 4 कुर्मी टोला पोस्ट जपला हुसैनाबाद जिला पलामू द्वारखंड के नाम से विक्रय कर दिया जिस पर अपीलार्थी का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी हुसैनाबाद को दिया तो अंचल अधिकारी हुसैनाबाद ने इस आधार पर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया कि बचत रकबा मांग रकबा से अधिक है जबकि अपीलार्थी गायत्री देवी बचत रकबा का ही नामांतरण कराने को तैयार हैं। प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन के अनुसार आवेदिका द्वारा रकबा 15डेसिमिल भूमि के नामांतरण का आवेदन दिया गया था जबकि बचत रकबा 11.4 डेसिमिलही था। ऐसी स्थिति में नामांतरण की कार्यवाई नहीं हो पाई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बचत रकबा कम होने के कारण नामांतरण नहीं हो पाया। परन्तु अपीलार्थी शेष बचे हुए रकबा का ही नामांतरण कराने को तैयार है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए , अंचल अधिकारी हुसैनाबाद द्वारा नामांतरण वाद संख्या 246 R 27 / 2020- 2021 में पारित नामांतरण आदेश को निरस्त / खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः अवसर देकर, सुनवाई करते हुए , विधि सम्मत आदेश पारित करें। इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद को अग्रेतर कार्यवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता हुसैनाबाद (पलामू)।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता हुसैनाबाद (पलामू)।	